

मात्स्यगंधा

2006

मात्स्यिकी संपदा और प्रबंधन



केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)

कोची 682 018



मात्स्यिकी प्रबंधन में बहु-पणधारी अभिगम

पी. लक्ष्मीलता

सी एम एफ आर आइ का कलिकट अनुसंधान केंद्र, केरल

पिछले दशब्द से मात्स्यिकी प्रबंधन और संपदाओं के संचालन (गवर्नन्स) में विचारणीय परिवर्तन दिखाया पडता है। संपदाओं और उनके पर्यावरण तंत्र का परिरक्षण वर्तमान प्रबंधन का मुख्य अभिगम है जबकि प्रभवों और उनकी जाति संबंधी सूचनाओं के संकलन पर कम जोर दिया जा रहा है। कार्य संचालन या गवर्नन्स समुदाय आधारित और सहप्रबंधन अभिगमों के साथ मछुआरों की सहभागिता से उन्हें अधिकार और दायित्व सौंपाने की ओर मुड रही है।

सह प्रबंधन का सांगत्य क्या है ?

मात्स्यिकी क्षेत्र में तटीय मछुवारों के बीच होनेवाले संकट राष्ट्रीय सरकारों को प्रबंधन नीति में परिवर्तन लाने के लिए उकसाया है। इसकेलिए सुझाए गए अभिगमों में समुदाय आधारित और सह प्रबंधन आधारित निर्देश है जिसकी वजह से केंद्रीकृत प्रबंधन से मुक्त होकर मछुवारों को संपदाओं की पकड और विपणन करने का अधिकार, प्रबंधन में उनके ही सम्मिलन से मिल सके।

मात्स्यिकी कार्य संचालन रीति बदलने के संबंध में अवबोध बढता जा रहा है। सह प्रबंधन से मतलब आम स्वत्व का पणधारियों और इस स्वत्व का भरण करनेवाले स्थानीय सरकारों

पत्रव्यवहार : डॉ. पी. लक्ष्मीलता,

वरिष्ठ वैज्ञानिक, सी एम एफ आर आइ का
कालिकट अनुसंधान केंद्र,
वेस्टहिल पी.ओ., कालिकट - 673 005,
केरल

के बीच में शासन कार्य का बाँटना है। वर्तमान नीति के अनुसार विभिन्न प्रकार के सहभागियों की सहकारिता माँग के अनुसार अनुपालन करने के साथ-ही साथ उस में परिशोधन भी किया जाता है। सरकारी और राजनैतिक सहयोग से मछुआरा समुदायों और संगठनों की सहभागिता से प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाता है। अतः सह प्रबंधन एक प्रकार की सहभागिता व्यवस्था है जिस में सरकार, स्थानीय मछुवारे, बाह्य एजेंट्स (जैसे गैर सरकारी संगठन, शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान) और मात्स्यिकी व तटवासी कार्यों में लगे अन्य पणधारी (जैसे बोट के मालिक, मत्स्य व्यापारी, साहूकार, पर्यटन संस्थाएं आदि) के मन्तव्य मात्स्यिकी प्रबंधन निर्णयों के लिए लिया जाता है। इस प्रकार के दायित्वपूर्ण मात्स्यिकी प्रबंधन अभिगम बहुपणधारी प्रबंधन प्रक्रिया का अनुक्रमण है जिस में प्रमुख पणधारियाँ एक नए प्रकार की संप्रेषण रीति, निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी-अपनी- सहभागिता से दी जा सकती है।

बहु पणधारी प्रक्रिया क्या क्या हैं ?

ये मात्स्यिकी पणधारियों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए उनकी सहभागिता से की जानेवाली मात्स्यिकी प्रबंधन प्रक्रियाएं हैं। यह किसी प्रकार के प्रश्नों में पडे व्यक्तियों व समूहों को उन से छुटकारा पाने के लिए सामूहिक परिचर्चाएं, संधि भाषण से निर्णय और संयोजित कारवाई लेने की रीति है। यह नीति निर्माताओं, सामुदायिक प्रतिनिधियों, वैज्ञानिकों, व्यवसाइयों और गैर सरकारी संगठनों को मिलकर सोचने और कार्य करने का अवसर प्रदान करता है।



बहुपणधारी प्रक्रिया के लक्षण

किसी प्रकार के प्रश्न/स्थिति या पहल में सुधार लाने के लिए विविध मेखलाओं में एक ही प्रकार के कार्य में लगे पणधारियों को उनकी सहभागिता से स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देते हैं। इस में उनकी सहभागिता पर विशेष ज़ोर दिया जाता है। इस में 'ऊपर से नीचे तक' और 'नीचे से ऊपर तक' अभिगम का समायोजन किया गया है। इसके ज़रिए संस्थाओं में परिवर्तन लाने और पणधारियों को बातें समझने का अवसर मिल जाता है। रूपाइत प्रक्रियाएं और रीतियाँ समझने और चर्चा करने का अवसर भी मिल जाता है। विचार-ज्ञान स्रोतों (उदा वैज्ञानिक जानकारी और स्थानीय जानकारी) की वैद्यता समझने; राजनीति और सरकार से व्यवहार करने की रीति समझने और उनके सहभागी अनुभवों पर निर्णय लेने की वजह से यह प्रक्रिया अत्यंत फलप्रद माना जाता है। शासन के इस सहकारी स्वरूप में कार्यों का सुधार निश्चित रूप से लक्षित होता है।

एम एस पी के प्रबंधन और कार्यान्वयन के लिए संयोजित कार्ययोजनाएं/परियोजनाएं विकसित करना है, प्रबंधन स्वरूप और दायित्व स्थापित करना है, संपदाएं और तकनीकी सेवाएं सुरक्षित करना है, पणधारियों की कार्यक्षमता का विकास करना है, पणधारियों के विचारों को प्रयोग में लाया जाना है।

एम एस पी हस्तक्षेपों के स्वीकरण के लिए सीखने और

स्वीकरण करने की संस्कृति का विकास, विजय के मानदंडों का निर्वचन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन रीति का विकास, प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन, कार्यान्वयन और रणनीतियों के लिए अनुभव पाठ और उनके फीड बाक अध्ययन आवश्यक है।

बहु पणधारी प्रक्रिया में द्वितीयक पणधारी के रूप में सी एम एफ आर आइ की भूमिका

समुद्री मात्स्यिकी विकास और प्रबंधन में प्राथमिक पणधारी मछुवारे हैं। द्वितीय पणधारी के रूप में सरकार के चार स्तर हैं जैसा कि केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत। अन्य मुख्य पणधारी बोट के मालिक, मत्स्य व्यापारी, साहूकार, समुद्री खाद्य निर्यातक, तटीय पर्यटन उद्योग में लगे लोग आदि हैं।

सी एम एफ आर आइ को द्वितीयक पणधारी होने के नाते मात्स्यिकी प्रबंधन और आयोजन में मुख्य भूमिका निभाना है। तकनीकी/वैज्ञानिक सूचनाएं और तत्संबंधी आधारभूत डाटाएं, सामाजिक पठन-पाठ के लिए रंगमंच, सहायात्मक नीतियाँ और कार्यक्रम, नेतृत्वगुण का विकास, सुतार्थ और स्वतंत्र जानकार प्रणाली, आपसी चर्चाओं के ज़रिए सीखने का अवसर ये सब सी एम एफ आर आइ द्वारा दिया जा सकता है। मछुआरों की प्रश्न व समस्याएं पहचानकर उनके विश्लेषण करना और उन विश्लेषणों के अनुसार पणधारियों की सहभागिता से मत्स्यन प्रबंधन आयोजित करने में भी संस्थान अपनी भूमिका निभा सकता है।

मुख्य शब्द/Keyword

बहुपणधारी प्रक्रिया - multiple stake holder process (MSP)

